

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 73] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 17, 1979/फाल्गुन 26, 1900

No. 73] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 17, 1979/PHALGUNA 26, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अग्रत्यक्ष कर प्रभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1979

सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 250 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 75 और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क वापसी नियम, 1971 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का नाम सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क वापसी (संशोधन) नियम, 1979 है।

(314 GI/78)

(453)

2. सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क वापसी नियम, 1971 से उपाबद्ध अनुसूची में क्रम सं. 38 और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नीलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“38. धातुओं की विनिर्मितियां (पीतल के कलात्मक बर्तन और बिजली से मुलम्मा किए गए निकल तथा चांदी के बर्तनों और वस्तुओं से भिन्न) जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हैं।”

[अर्थ-सूचना सं. 1/फा. सं. 600/3815/78-डी बी के]

महेश कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

INDIRECT TAXES DIVISION

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 1979

CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE

G.S.R. 250(E).—In exercise of the powers conferred by section 75 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and section 37 of the Central Excise and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 namely :—

1. These rules may be called the Customs and Central Excise Duties Drawback (Amendment) Rules, 1979.

2. In the Schedule appened to the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 for Serial No. 38 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

“38. Manufacture of metals (other than brass art wares and electroplated nickle silver wares and articles) not otherwise specified.”

[Notification No. 1/F. No. 600/3815/78-DBK]

MAHESH KUMAR, Under Secy.